(2)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला.............मधुबनी ....वाद संख्या–25 / 14–15

केश का प्रकार :– जमाबंदी रद्दीकरण वाद

अर्जीकारः– मुन्ना राम

प्रतिपक्षी–लालबाबू राम एवं अन्य।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
6.5.2017	प्रस्तुत वाद आवेदक मुन्ना राम साकिन–मुहल्ला चभच्चा चौक,वार्ड नं.03 मधुबनी के आवेदन पर अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा संधारित अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मधुबनी के पत्रांक–73 दिनांक–28.01.2015 की अनुशंसा के आधार पर प्रारम्भ करते हुये उभय पक्षों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रारम्भ की गयी। अंचल अधिकारी, रहिका ने अपने आदेशफलक 01.11.13 में लिखा है कि सी0एस0खतियान के अनुसार भूमि की खाता–288 खेसरा 14 रकवा 0–12–12 गैर मजरूआ आम नाली दर्ज है जिसमें से 0–1–0 (एक कट्ठा)भूमि प्रतिपक्षी द्वारा अवैध रूप से हडपा गया है। पंजी–2 में जमाबंदी संख्या–634 में न तो कोई खाता खेसरा दर्ज है तथा न ही किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश संख्या ही दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी द्वारा पूर्व में पिता एवं बाद में स्वयं नाम से जमाबंदी कायम कराकर रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं जिससे गैर मजरूआ आम भूमि पर हकीयत नहीं माना जा सकता है। अतः अवैध जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। प्रतिपक्षी का मात्र दलील है कि उक्त भूमि उन्हें बंदोवस्त हुआ किन्तु गैर मजरूआ आम भूमि कैसे इन्हें प्राप्त हुआ, उसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सूना एवं वाद को आदेशार्थ रखा गया। दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः– आवेदक का मुख्य कथन है कि गैर मजरूआ आम नाला की जमीन पर गलत तरीके से जमाबंदी प्रतिपक्षी ने कायम करवा लिया जिसे अंचलाधिकारी ने भी जॉच में अवैध पाते हुये रद्द करने की अनुशंसा की है। अंचल अधिकारी के स्तर से अतिक्रमण वाद संख्या–3/13–14 भी चलाया गया था जिसमें आदेश पारित किया गया था। विपक्षी के पूर्वज की ओर से भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में वाद दायर किया था जो दिनांक 16.6.2014 को खारिज हो गया। गैर मजरूआ आम नाला की जमीन कभी भी बंदोवस्ती नहीं हो सकती है क्योंकि नाला आम जन के उपयोग के लिए होता है जिसे अवैध रूप से विपक्षी कब्जा किये हुये हैं। यदि विपक्षी की ओर से म्यूनिस्पल टैक्स अथवा होल्डिंग विवादित जमीन से संबंधित दिखाया जाता है तो वह भी नाजायज है। शहरी क्षेत्र का रिविजनल सर्वे फाईनल नहीं हुआ है। विपक्षी ने अंचल को गुमराह कर नाजायज तरीके से अभिधारी खाता पुस्तिका एवं एल0पी0सी0प्राप्त कर लिया है। सरकारी जमीन की सुरक्षा न्याय हित में है। अतः विपक्षी द्वारा नाजायज जमाबंदी नं. 634 न्याय हित में रद्द किया जाय। प्रतिपक्षी का मुख्य कथन है कि यह बात सही है कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में प्रश्नगत भूमि का किस्म गैर मजरूआ आम नाला अंकित है जबकि उक्त नाला सिल्टेड हो चुका है और उसका नेचर परिवर्तित होकर आवासीय हो चुका है। उक्त भूमि का आंशिक अंश एक कट्ठा प्रतिपक्षी के पिता सीताराम हलखोर के दखल कब्जा में रहता आया तथा उस पर घर निर्मित कर आवासन किया जा रहा है। भूतपूर्व जमींदार ने प्रतिपक्षी के पिता का प्रश्नगत भूमि पर दखल देखकर उक्त एक कट्ठा जमीन वर्ष 1931 में बंदोवस्त कर दिया जिसका रिटर्न भी भूतपूर्व जमिंदार द्वारा प्रतिपक्षी के पिता सीताराम राम उर्फ सीताराम हलखोर को उक्त एक कट्ठा	CH 241/R 12.5.17 CH 481/R 18.5.17 CH 485/R 9.5.17

भूमि बंदोवस्ती किये जाने का दाखिल किया जा चुका है तत्पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जमाबंदी नं. 634 का लगान लिया जा रहा है। पिता की मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी अपने नाम जमाबंदी को हस्तान्तरित कराते हुये बिहार सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं। रिविजनल सर्वे प्राधिकार भी प्रतिपक्षी का दखल कब्जा पाकर रिविजनल सर्वे खतियान प्रतिपक्षी के नाम कायम किया तथा नगर परिषद भी प्रश्नगत भूमि का प्रतिपक्षी के नाम खतियान कायम करते हुये होल्डिंग नं. एन/358 कायम किया जिसके आधार पर होल्डिंग टैक्स प्रतिपक्षी अदा करते आ रहे हैं। भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत अभिधारी खाता पुस्तिका अंचल रहिका के स्तर से प्रतिपक्षी के नाम निर्गत किया जा चुका है। बिहार भू–विवाद निराकरण अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मधुबनी के न्यायालय में प्रतिपक्षी द्वारा दायर वाद संख्या–5/13–14 को उनकी अनुपस्थिति के कारण खारिज किया गया था। प्रतिपक्षी का आवासीय मकान प्रश्नगत भूमि पर कायम है जिसमें उनके पूर्वज पिता के समय से ही दखल, हकीयत कायम है। अतः उक्त वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया। प्रतिपक्षी की ओर से निम्नांकित साक्ष्यों की छाया प्रति प्रत्युत्तर के साथ संलग्न किया गयाः–

1– राज दरभंगा का अधकट्टी चालान की छाया प्रति।
2– बिहार सरकार को अदा लगान रसीद वर्ष 13–14 की छाया प्रति
3–अंचल कार्यालय के नामान्तरण वाद संख्या 174/85–86 की छाया प्रति
4– नगरपालिका से निर्गत खतियान की छाया प्रति
5– नगरपालिका से निर्गत होल्डिंग टैक्स रसीद की छाया प्रति
6– अभिधारी खाता पुस्तिका की छाया प्रति।
7– अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा निर्गत एल0पी0सी0की छाया प्रति
8– गैरमानक खतियान की छाया प्रति

निष्कर्षः–

आवेदक के आवेदन पर अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा प्रारम्भ अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, साक्ष्यों, प्रतिपक्षी के प्रत्युत्तर एवं उसके साथ साक्ष्य के रूप प्रस्तुत कागजातों की छाया प्रति, उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस एवं साक्ष्यों का अवलोकन एवं परिसिलन किया। अंचल अधिकारी द्वारा संधारित अभिलेख को भूमि सुधार उप समाहर्ता ने भी जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया है। गैर मजरूआ आम नाला की भूमि बंदोवस्त नहीं हो सकती है। बिहार सरकार भूमि सुधार विभाग का स्पष्ट निदेश है कि नाला, पईन, नहर, नदी जल निकाय श्रोत का नेचर परिवर्तन के बाद भी बंदोवस्ती नहीं की जा सकती है। अंचल अधिकारी, राजस्व अभिलेख के संरक्षक होते हैं जिनका प्रतिवेदन है कि पंजी–2 में जमाबंदी में न तो खाता/खेसरा अंकित है और न ही किस पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम हुआ, का कोई उल्लेख है। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन है कि लगान रसीद अदा करना हकीयत नहीं माना जा सकता है। चूँकि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान गैर मजरूआ आम "नाला" अंकित है जिसमें से एक कट्ठा नाला की भूमि को प्रतिपक्षी ने अवैध रूप से हड़प लिया है। नाला आम उपयोग के लिए होता है अतः जमाबंदी संख्या–634 को अवैध मानते हुये उसे रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। मधुबनी शहरी क्षेत्र का रिविजनल सर्वे खतियान प्रकाशित नहीं हुआ है।

अतः अंचल अधिकारी, रहिका का प्रतिवेदन जो भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी के द्वारा अनुशंसा के साथ अग्रसारित है, के आधार पर गैर मजरूआ आम "नाला"की भूमि का अवैध जमाबंदी को रद्द किया जाता है।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रहिका एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी को भेजें।

लेखामित्र

6/5/17

अपर समाहर्ता,मधुबनी।

अपर समाहर्ता,
मधुबनी 6/5/17